

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 4(02)नवीन महा/आयो/आकाशि/2024-05047

आदेश

परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 एवं वित्त विनियोग विधेयक में घोषित किये गये नवीन कृषि महाविद्यालयों के संचालन हेतु निम्नानुसार राजकीय महाविद्यालयों को एतद द्वारा नोडल महाविद्यालय नियुक्त किया जाता है :-

क्र.स.	जिला	खोले गये नवीन कृषि महाविद्यालय का स्थान	नोडल महाविद्यालय का नाम
1	चूरू	चूरू	राजकीय महाविद्यालय, चूरू
2	डीग	कुम्हेर	राजकीय महाविद्यालय, डीग
3	जयपुर	जमवारामगढ़	राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़
4	दौसा	बालाहेड़ा (महवा)	राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई

उक्त सभी नोडल महाविद्यालय प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालयों के अस्थायी संचालन के लिये जिला प्रशासन से सम्पर्क कर उपयुक्त अस्थाई भवन की व्यवस्था करावे जिसमें 07 कमरे उपलब्ध हो, कृषि महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए ICAR के मानदण्डानुसार 30 हैक्टेयर (3,00,000 वर्गमीटर) उपयुक्त भूमि चिन्हिकरण करे जो विवाद रहित स्वामित्व एवं अधिकारिता हो, भूमि अंतिक्रमण मुक्त हो, इकोलोजिकल जोन में न हो, चिन्हित भूमि के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही हो तथा नदी-नालों से दूर हो, का आवंटन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा राज० जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- संयुक्त निदेशक आयोजना/अकादमिक/एच.आर.डी./प्रशासन को निर्देशित किया जाता है कि नवीन महाविद्यालयों के संचालन के लिये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
- वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
- संबंधित प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय।
- वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर संबंधित को ई-मेल करने हेतु।

आयुक्त

RajKaj Ref
9617849

Signature valid

Digital signed by Pukhraj Sen
Designation: Commissioner
Date: 2024.08.08 10:26:44 IST
Reason: Approved